सूचना का अधिकार मामला / समयबद्ध

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

सं. ई/551/ 1 /2018-आरटीआई

12 दिसम्बर 2018

सेवा में,

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत माँगी गई सूचना

महोदय,

कृपया अपने आरटीआई आवेदन दिनाक 30 नवम्बर 2018 का अवलोकन करें जिसे आरटीआई प्रकोष्ठ, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को स्थानांतरित किया गया, तथा जिसे इस विभाग को 30 नवम्बर 2018 को बिंदु संख्या 4 के संदर्भ में स्थानांतरित किया गया था।

2. आपके द्वारा बिंदु संख्या 4 पर मांगी गई जानकारी चीन के संदर्भ में निमानानुसार है:

भारत और चीन के बीच सीमा क्षेत्रों में सामान्य तौर पर निर्धारित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं है। समय-समय पर एलएसी की धारणा में भिन्नता के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है जिनसे बचा जा सकता था यदि हमारे वास्तलविक नियंत्रण रेखा को लेकर एक जैसी धारणा होती।

सरकार एलएसी के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले को चीनी पक्ष के साथ सीमा कार्मिकों की बैठकों, फ्लैग बैठकों, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं सहयोग के लिए कार्यतंत्र की बैठकों जैसे स्थापित तंत्रों और राजनयिक चैनलों के माध्यम से नियमित रूप से उठाती रहती है।

सरकार का हमेशा से यह मत रहा है कि भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और अमन द्विपक्षीय संबंधों के विकास की एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर डॉ अमित तेलंग, निदेशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110011 को अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय,

प्रसन्न श्रीवास्तव

(प्रसन्न श्रीवास्तव)

उप सचिव (चीन), एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्रीमती दीपा जैन, अवर सचिव (आरटीआई), विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

1157/10

3680
Dy. No.....RTI Cell/2018
Date: 30-11-18

सेवा में,

क्या हिन्दी में पत्र भेजा/

श्रीमान जनसूचना अधिकारी
विदेश मंत्रालय भारत-सरकार
नई दिल्ली

Q1-2) No information as defined u/s 2(f)
Q-3 - NA
Q4 - U3(China)
28/11
SHK
SHAN

विषय:- प्रार्थना पत्र वास्ते जनसूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया निम्न बिन्दुओं पर सूचना देने का कष्ट करें:-

1- चायनीज और अन्य विदेशी सामानों से भारत को किस प्रकार का लाभ मिल रहा है।

2- क्या चायनीज सामान की बिक्री भारत में बन्द करने का कोई अन्देशा है। क्योंकि भारत की सम्पूर्ण जनता चायनीज सामान का विरोध कर रही है।

4- आए दिन चीन भारत में घुसपैठ कर रहा है जिससे जन में आक्रोश है इसमें विदेश मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा।

प्रार्थी

[illegible] भेज रहे हैं
रव्याने०
03F-252791